न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या :: 89 / 2019

सत्यनारायण पिता पन्नालाल जी रेगर निवासी ठुकराई तह0 बेगूं

वादी

बनाम

1. भवानीलाल पिता लक्ष्मण जी बलाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूं
2. भोलीबाई पत्नी बगदुराम जी रेगर निवासी ठुकराई तह0 बेगूं
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री लालूराम कुमावत
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :: 24.12.2024

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री एल.आर.कुमावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा ठुकराई प0ह0 ठुकराई में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 की संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी व कजे काश्त की कृषि आराजीयात स्थित जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
442	1010	1.1740
	1011	1.2230
	2394 / 1012	0.4860
	किता–3	2.8830 हैक्टर

वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 का भी 1/4 हक व हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। वादी अपने हक हिस्सा 1/4 पर मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन कृषि कार्य के दौरान हंकाई जुताई एवं घास आदि काटते समय सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। उक्त कृषि आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी द्वारा दिनांक 10.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मौके पर काबिज अनुसार तहसील में चलकर विभाजन करने की कहा तो उन्होने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिससे वादी का यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान म॓ प्रस्तुत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा है इसलिए वादी की ओर से यह वाद पत्र प्रस्तुत है।

वाद कारण दिनांक 10.06.2019 प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कराये जाने का संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। कृषि आराजीयात ग्राम ठुकराई तहसील बेगूं में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का होने से प्रस्तुत है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:–
कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित है इसी हक व हिस्से अनुसार बंटवाडा किये जाने की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान फरमाई जावें।
कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/4 हक एवं हिस्सा निहित है तथा अपने हक हिस्सा पर काविज है इसी हक हिस्सा एवं मौके पर काविजानुसार मौके पर बंटवाडा किये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान फरमाई जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ)

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के पत्रावली में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी सत्यनारायण पिता पन्नालाल रेगर के लिए जाकर उनके बयान कलमबद्ध कराए गए तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध मामला एकतरफा कार्यवाही का होने पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होंने पत्रावली में वादपत्र एवं रेकार्ड तथा कब्जे के अनुसार वाद वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुने जान के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा दुकराई संवत 2072–2075 प्रदर्श–1 का अवलोकन किया तथा प्रदर्श– 2 नकल आराजी नक्शा का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, नकल जमाबंदी अनुसार मौजा दुकराई की आराजी संख्या 1010, 1011, 2394/1012 किता– 3 रकबा 2.8830 हैक्टर भूमि में वादी सत्यनारायण पिता पन्नालाल रेगर का 1/4 हक हिस्सा विक्रय खातेदार रामेश्वरलाल द्वारा उन्हें किये जाने से जरिये नामान्तरण संख्या 2578 दिनांक 20.1.2018 से अंकित किया हुआ है। इस प्रकार वादी अपने 1/4 हक हिस्सा आराजी का विभाजन कराये जाने के अधिकारी पाये जाते है जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। मौजा दुकराई प०ह० दुकराई की आराजी संख्या 1010, 1011, 2394/1012 किता– 3 रकबा 2.8830 हैक्टर भूमि में वादी सत्यनारायण पिता पन्नालाल रेगर का 1/4 हक हिस्सा अनुसार व कब्जानुसार तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का मुताबिक जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी "मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के आधार पर किय जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निर्णय की प्राथमिक डिकी तैयार की जाकर तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाते हुए आराजी के विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./प्रा.डी./2024/1627 दिनांक 21.05.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिकी की घोषणा किया जाने योग्य है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा दुकराई प०ह० दुकराई की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी सत्यनारायण पिता पन्नालाल रेगर सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1011मेसे	0.5993	माल2	4.09
2394/1012मेसे	0.1215	बंजड	0.23
किता– 2	0.7208		4.32

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रतिवादी 1.भवानीलाल पिता लक्ष्मण बलाई सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1011मेसे	0.5992	माल2	4.09
2394 / 1012मेसे	0.1215	बंजड	0.22
किता– 2	0.7207		4.31

प्रतिवादी 2.भोलीबाई पत्नि बगदुराम रेगर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1010	1.1740	माल2	8.01
1011मेसे	0.0249	माल2	0.16
2394 / 1012	0.2430	बंजड	0.45
किता– 3	1.4419		8.62

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

संख्या : 89/2019

सत्यनारायण पिता पन्नालाल जी रेगर निवासी दुकराई तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1. भवानीलाल पिता लक्ष्मण जी बलाई निवासी दुकराई तह0 बेगूं
2. भोलीबाई पत्नी बगदुराम जी रेगर निवासी दुकराई तह0 बेगूं
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लालुराम कुमावत की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.12.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा दुकराई प0ह0 दुकराई की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1.सत्यनारायण पिता पन्नालाल रेगर सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1011मेसे	0.5993	माल2	4.09
2394/1012मेसे	0.1215	बंजड	0.23
किता– 2	0.7208		4.32

प्रतिवादी 1.भवानीलाल पिता लक्ष्मण बलाई सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1011मेसे	0.5992	माल2	4.09
2394/1012मेसे	0.1215	बंजड	0.22
किता– 2	0.7207		4.31

प्रतिवादी 2.भोलीबाई पत्नि बगदुराम रेगर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1010	1.1740	माल2	8.01
1011मेसे	0.0249	माल2	0.16
2394/1012	0.2430	बंजड	0.45
किता– 3	1.4419		8.62

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

क्रमांक/सरिस्ता/2024/ दिनांक:–

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगूं को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं
बेगूं (चित्तौडगढ़)